न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 73/17 GCMS NO 2017/00088

1. रामप्रसाद पुत्र बुधराम
2. किशोरी पुत्र श्योनारायण
3. परसादी पुत्र जौहरी
4. मल्लूराम पुत्र परसादी जातियान मीना निवासीयान सुकार तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. कलियाण उर्फ कल्याण पुत्र रूगनाथ उर्फ रघुनाथ
2. राजाराम
3. तेजराम पुत्रान भम्बल जातियान मीना निवासीयान सुकार तहसील बामनवास
4. तहसीलदार एवं लैण्ड होल्डर बामनवास जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 9/17 निर्णय व डिकी दिनांक 5.5.17 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री हर्षवर्धन शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री योगेश शर्मा

दिनांक 11.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 5.5.17 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 द्वारा एक वाद पत्र विरूद्व तहसीलदार बामनवास के इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक ख0न0 273 रकबा 7 विस्वा गैर मुमकिन चाह वादीगण हिस्सा 1/2 जौहरया,श्योनारायण,बुघराम पुत्रगण भैरूण्डा हिस्सा 1/2 रही है, जिससे हाल ख0न0 1622 रकबा 0.01 है0 बनाया है। शेष हिस्से को हाल साबिक ख0न0 1620 मे शामिल करते हुए नया नम्बर बनाया गया है। वादीगण का हिस्सा 4 ऐयर भूमि को वादीगण का अलग ख0न0 दर्ज करते हुए नया नम्बर 2548/1620 रकबा 4 ऐयर बनाया है। इसी प्रकार साबिक ख0न0 574 रकबा 10 बीघा 13 विस्वा वादीगण की भूमि रही है। जिससे अन्य नम्बर बनाते हुए हाल ख0न0 1680/2523 रकबा 15 ऐयर भूमि भी बनी है। साबिक ख0न0 581 रकबा 7 विस्वा किस्म गैर मुमकिन [illegible] 8 विस्वा गैर मुमकिन आबादी , [illegible] ख0न0 573 रकबा 7 विस्वा को सेटलमेंट 583 रकबा 11 विस्वा गैर मुमकिन [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

विभाग द्वारा उक्त नम्बर से हाल ख0न0 1622 रकबा 01 बनाया है शेष हिस्सा हाल ख0न0 1620 मे शामिल करते हुए नया नम्बर कायम किया है। जिसमे से वादीगण का नया नम्बर 2548/1620 रकबा 4 ऐयर कायम कर दिया लेकिन हाल नक्शे मे अंकन नही किया है जो वादीगण के हाल ख0न0 1648 मे दर्शाया गया है। वादीगण का हिस्सा ख0न0 2548/1620 रकबा 4 ऐयर का वादीगण के द्वारा पेश नजरी नक्शा मे लाल रंग से तथा इसी प्रकार साबिक ख0न0 574 से बने नजरी नक्शे मे प्रदर्शित पीले भाग हाल ख0न0 1680/2523 को सेटलमेट विभाग के कर्मचारियो के द्वारा साबिक ख0न0 581 से बने हाल ख0न0 1680 मे दर्शित कर रखा है जबकि 1680 का हाल रकबा मात्र 10 ऐयर है जिसको हाल नक्शे मे ख0न0 1680/2523 मे मिलाकर दर्शित कर रखा है। जिसका सेटलमेंट के कर्मचारियो को कोई अधिकार नही था। साबिक ख0न0 582 वादीगण की आबादी रही है। इसी प्रकार ख0न0 583 गैर मुमकिन रास्ता रहा है। जो वादीगण की आराजी तक आने जाने के लिए रहा है। साबिक ख0न0 581 रास्ता भी वादीगण की भूमि तक जाता रहा है। सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा आबादी की भूमि रकबा 8 ऐयर को घटाकर 3 ऐयर दर्ज कर दिया है। जिस पर वादीगण के पक्के मकान व बाडे बने हुए है। गैर मुमकिन रास्ता जो कि मात्र 11 विस्वा था उसे भी सेटलमेट ने बढाकर 36 ऐयर का कर दिया है। सेटलमेट द्वारा की गई गलती का लोग नाजायज फायदा उठा रहे है जो वादीगण के खिलाफ रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायते करते है। इस प्रकार सेटलमेंट द्वारा की गई गलत कार्यवाही को वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी/तहसीलदार को आदेशित किया जावे कि नजरी नक्शे मे प्रदर्शित काले भाग को गैर मुमकिन आबादी तथा नीले भाग ख0न0 1680/2523 व 1648 तथा 2548/1620 को वादी को खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही होने के कारण धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र संलग्न कर अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विरूद्व रिकार्ड होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/तहसीलदार से कोई मौका रिपोर्ट नही मंगवाई गई एवं बिना किसी आधार के दावा वादी डिक्री कर दिया गया। वादीगण द्वारा मनमर्जी से नक्शा ट्रेस मे नीला ,पीला काला रंग भरा जाकर दावे के साथ पेश किया है। जबकि इस प्रकार के नक्शे का कोई विधिक महत्व नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] कोई जॉच नही कराई गई। केवल मात्र वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे को आधार बनाकर निर्णय [illegible] है। अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bairwa
Date: 2025.03.27 16:05:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय ने वादी द्वारा गलत प्रस्तुत दस्तावेजो का विवेचन कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। गलत रूप से रास्ते की भूमि को कम कर आबादी मे गलत रूप से दर्ज किया है। अपीलांट द्वारा रेस्पो0 कलियाण के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय मे दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर घोषणा इस अमर की चाही गई है कि ग्राम सुकार मे स्थित भूमि हाल ख0न0 1654 रकबा 0.03 है0 एवं 1648 रकबा 0.47 है0 मे से 0.29 है0 के काबिज खातेदार है तथ उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे कम कराकर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने के अधिकारी है तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ग्राम सुकार के हाल ख0न0 1654 एवं 1648 के मध्य स्थित 0.29 है0 मे वादीगण के कब्जे काश्त मे उपयोग उपभोग के बाधा उत्पन्न नही करे तथा रहन बय अन्तरण नही करे राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती वादीगण के पक्ष मे बनाई रखी जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वे गेर मुमकिन रास्ता भूमि ख0न0 1680 व 1700 मे होकर वादीगण के उपयोग उपभोग आने जाने हेतु तथा रास्ते की चौडाई मे बाधा उत्पन्न नही करे तथा रास्ते की भूमि ख0न0 1680 मे प्रतिवादीगण का अतिक्रमण निर्माण एवं बोई गई फसल को हटावाया जावे। उक्त दावा पत्रावली केम्प सुकार मे दिनांक 19.5.16 को पेश हुई। जिसमे वादी एवं प्रतिवादी की आपसी समझाईश पर ख0न0 1680 रकबा 0.10 है0 एवं ख0न0 1700 रकबा 0.37 है0 गैर मुमकिन रास्ते पर प्रतिवादी/रेस्पो0 का अतिक्रमण माना है। जिस पर नायब तहसीलदार एवं भू अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर गैरमुमकिन रास्ते से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये। जिसकी अपील प्रतिवादी कल्याण ने न्यायालय हाजा मे की गई। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार बामनवास से मौका रिपोर्ट बनाकर पेश करने के आदेश पारित किये गये। जिसकी पालना मे तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट बनाकर न्यायालय हाजा मे पेश नही की है। रेस्पो0 कल्याण वगै0 ने बदनीयती पूर्वक तथ्य छुपाते हुए दावा संख्या 9/17 सिर्फ तहसीलदार को प्रतिवादी बनाकर पेश किया इस दावे मे तहसीलदार द्वारा जबाब दावा भी पेश नही किया गया ना ही मौका रिपोर्ट पेश की गई। रेस्पो0 कलियाण ने षडयंत्र पूर्वक दावा डिक्री करवा लिया। जिसकी पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो चुकी है परन्तु न्यायालय हाजा के आदेश की पालना मे तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है। तहसीलदार अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना करने पर उतारू हो रहा है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलांट के हित वादग्रस्त रास्ते व भूमि से जुडे है। अपीलांट का अतूल्नीय क्षति हो रही है। पूर्व से दावा पक्षकारान के मध्य चल रहा है। जिसकी अपील चल रही है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट यह अपील व्यथित पक्षकार होने के नाते अपील पेश कर रहा है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे तथा अपीलांट को पक्षकार बनाकर साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि आराजी साबिक ख0न0 273 रकबा 7 विस्वा गैर मुमकिन चाह रेस्पो/वादीगण हिस्सा 1/2 जौहरया,श्योनारायण,बुधराम पुत्रगण गैरूण्डा हिस्सा 1/2 रही है, जिससे हाल ख0न0 1622 रकबा 0.01 है0 बनाया है। शेष हिस्से को हाल साबिक ख0न0 1620 मे शामिल करते हुए नया नम्बर बनाया गया है। रेस्पो/वादीगण का हिस्सा 4 ऐयर भूमि को रेस्पो/वादीगण का अलग ख0न0 दर्ज करते हुए नया नम्बर 2548/1620 रकबा 4 ऐयर बनाया है। इसी प्रकार साबिक ख0न0 574 रकबा 10 बीघा 13 विस्वा रेस्पो/वादीगण की भूमि रही है। जिससे अन्य नम्बर बनाते हुए हाल ख0न0 1680/2523 रकबा 15 ऐयर भूमि भी बनी है। साबिक ख0न0 581 रकबा 7 विस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता, 582 रकबा 8 विस्वा गैर मुमकिन आबादी , 583 रकबा 11 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता रहा है। साबिक ख0न0 573 रकबा 7 विस्वा को सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त नम्बर से हाल ख0न0 1622 रकबा 01 बनाया है शेष हिस्सा हाल ख0न0 1620 मे शामिल करते हुए नया नम्बर कायम किया है। जिसमे से रेस्पो/वादीगण का नया नम्बर 2548/1620 रकबा 4 ऐयर कायम कर दिया लेकिन हाल नक्शे मे अंकन नही किया है जो रेस्पो/वादीगण के हाल ख0न0 1648 मे दर्शाया गया है। रेस्पो/वादीगण का हिस्सा ख0न0 2548/1620 रकबा 4 ऐयर का रेस्पो/वादीगण के द्वारा पेश नजरी नक्शा मे लाल रंग से तथा इसी प्रकार साबिक ख0न0 574 से बने नजरी नक्शे मे प्रदर्शित पीले भाग हाल ख0न0 1680/2523 को सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियो के द्वारा साबिक ख0न0 581 से बने हाल ख0न0 1680 मे दर्शित कर रखा है जबकि 1680 का हाल रकबा मात्र 10 ऐयर है जिसको हाल नक्शे मे ख0न0 1680/2523 मे मिलाकर दर्शित कर रखा है। जिसका सेटलमेंट के कर्मचारियो को कोई अधिकार नही था। साबिक ख0न0 582 वादीगण की आबादी रही है। इसी प्रकार ख0न0 583 गैर मुमकिन रास्ता रहा है। जो रेस्पो/वादीगण की आराजी तक आने जाने के लिए रहा है। साबिक ख0न0 581 रास्ता भी रेस्पो/वादीगण की भूमि तक जाता रहा है। सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा आबादी की भूमि रकबा 8 ऐयर को घटाकर 3 ऐयर दर्ज कर दिया है। जिस पर रेस्पो/वादीगण के पक्के मकान व बाडे बने हुए है। गैर मुमकिन रास्ता जो कि मात्र 11 विस्वा था उसे भी सेटलमेट ने बढाकर 36 ऐयर का कर दिया है। सेटलमेट द्वारा की गई गलती का लोग नाजायज फायदा उठा रहे है जो रेस्पो/वादीगण के खिलाफ रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायते करते है। इस प्रकार सेटलमेंट द्वारा की गई गलत कार्यवाही को रेस्पो/वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। अपीलांट का विवादित आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही होने के कारण उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही होने से पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि वह किस प्रकार से रास्ते की भूमि से प्रभावित है। जबकि सेटलमेंट विभाग द्वारा रास्ते की भूमि के रकबे को कम करने के कारण ही रेस्पो/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो/वादीगण का हित निहित होने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिकी जारी की गई है । जो विधि [illegible] के अनुरूप है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। अतः खारिज [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादी/रेस्पो० द्वारा सेटलमेंट विभाग द्वारा आराजी ख०न० 1700 रकबा 0.36 है० गैर मुमकिन रास्ते मे से 0.07 है० भूमि कम की जाकर भूमि ख०न० 1681 रकबा 0.03 है० गैर मुमकिन आबादी मे शामिल करने की प्रार्थना की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि को कम की जाकर गैर मुमकिन आबादी मे मिला दिया गया। अपीलांट का कथन रहा कि न्यायालय हाजा मे विचाराधीन अपील जो अपीलांट द्वारा पेश की गई है उसमे तहसीलदार बामनवास से रिपोर्ट चाही गई थी जो आदिनांक तक तहसीलदार द्वारा नही भिजवाई गई है। अपीलांट के हित उक्त भूमि से जुडे होने के कारण अपीलांट को अतूल्य क्षति होने की संभावना होने के कारण ही अपील पेश की है। अपीलांट के इस मत से हम सहमत है। अतःअपीलांट की अपील अधिनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास के प्रकरण संख्या 9/17 निर्णय व डिक्री दिनांक 5.5.17 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे अदिनांक 20.1.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner